

पत्र संख्या : ७ब/४७०२ यो०ज०स०-१३/१२

५९

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : १३.६.१२

विषय :— माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200789180545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	4
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग /४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७८९ - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना/१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना)	०५-निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य/ ५०P470200789180545	60.00

आवंटित राशि – ₹ साठ लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६०.०० लाख (साठ लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार प्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५९

रॉची, दिनांक :- १३.६.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/दुमका/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५९

रॉची, दिनांक :- १३.६.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुधाकर कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

गांग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष -4702 लघु सिंचाई पर पूर्णीगत परिव्यय

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना,

उपर्योगी -18-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200789180545

बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 60.00 लाख

(राशि लाख रु में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन						अन्यक्षेत्र	
						पूर्व का वर्तमान		कुल आवंटन		आवंटन			
						सार्व	प्रसंग	आवंटन	आवंटन	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			चेकडैम निर्माण (चालू योजना)										
			रामचन्द्रपुर ग्राम में दाहा नाला पर चेकडैम निर्माण		29.579			0.000	0.000				
			रजीपुर ग्राम में रजीपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		46.400	0.250	0.000						
			संग्रामपुर ग्राम में दाहा नाला पर चेकडैम निर्माण		28.329	0.000	0.000						
			दादपुर ग्राम में दादपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		28.765	0.100	0.000						
			भुरकुण्डा ग्राम में फाटक नाला पर चेकडैम निर्माण		39.090	0.200	0.000						
			जमशेदपुर ग्राम में धोराबील नाला पर चेकडैम निर्माण		26.229	0.000	0.000	60.000	60.000				
			जमशेदपुर ग्राम में जमशेदपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		26.229	0.000	0.000						
			हरेसमपुर ग्राम में हरेसमपुर नाला पर चेकडैम निर्माण		19.533	0.150	0.000						
			मलैयापुर ग्राम में मलैया नाला पर चेकडैम निर्माण		25.875	0.000	0.000						
			मलैयापुर ग्राम में डोरा नाला पर चेकडैम निर्माण		29.847	0.150	0.000						
			योग	299.876		0.850	0.000	60.000	60.000				
			आवंटित राशि - ₹ साठ लाख मात्र।										

2003

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

*सुबोध कुमार सिन्हा**(बी०सी० नियम)*
विशेष संग्रह*(एस० के० शतपथी)*
प्रधान सचिव

५७

/ रॅची, दिनांक - 13.6.12